

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 3180/2025

रामावतार शर्मा

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, संस्कृत शिक्षा विभाग, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।
3. प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, Sanwarkya Ki Dhani, तुंगा, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.06.2025

आदेश की दिनांक : 21.07.2025

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री नरेन्द्र कुमार सैनी, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार करते हुए अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने संशोधित अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील के आधारों को दोहराते हुए तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, Sanwarkya Ki Dhani, तुंगा, जिला जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 03.06.2025 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी को पदोन्नति पश्चात राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, भेज स्थानान्तरण/पदस्थापन किया गया है। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 05.06.2025 (अनुलग्नक-2) द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.03.2025 (अनुलग्नक-3) द्वारा अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड तृतीय से वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नत किया गया और उक्त आदेश में

पदोन्नत कार्मिकों को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही तत्काल प्रभाव से यथावत पदोन्नत पद पर दिनांक 17.03.2025 तक कार्यग्रहण करने के निर्देश दिए गए थे। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 07.03.2025 (अनुलग्नक-4) द्वारा वरिष्ठ अध्यापक के पद पर वर्तमान विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया। अपीलार्थी के द्वारा पदोन्नति परित्याग का अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलार्थी के माताजी का कैंसर से देहांत हो चुका है तथा अपीलार्थी के पिता असाध्य बीमारियों से पीड़ित हैं। अपीलार्थी के बच्चे जिले व राज्य से बाहर अध्ययनरत हैं। अपीलार्थी ने इन्हीं विषम परिस्थितियों के चलते पदोन्नति परित्याग का निवेदन प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष किया जा चुका है।

3. अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.06.2025 (अनुलग्नक-1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 05.06.2025 (अनुलग्नक-2) को अपास्त फरमाया जाकर अपीलार्थी को निरंतर कार्यरत रखा जावे।
4. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया गया।
5. प्रकरण के तथ्यों एवं अभिलेखों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, Sanwarkya Ki Dhani, तुंगा, जिला जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक के पद पर हुई पदोन्नति का परित्याग करना चाहता है। पदोन्नति परित्याग के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर मुख्य पीठ में दायर समान प्रकरण एस बी सिविल रिट याचिका संख्या 8761/2025 श्रीमती वर्मालता बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.05.2025 द्वारा निम्न दिशा निर्देश पारित करते हुए समान प्रकृति के मामलों में परित्याग हेतु आदेशित किया है जो निम्नानुसार है:—

"44. The writ petitions are therefore, disposed of with the following directions:

- (i) The petitioners shall be at liberty to file an application in writing, exercising their option to forego the promotion, within a period of 15 days from now.
- (ii) The application shall be filed in writing clearly indicating the option to forego the promotion. The consequences of the said exercise of option, in terms of Rule 33 of the Rules of 2021, would follow.
- (iii) The petitioners shall, along with their application, be under an obligation to file a specific undertaking to the effect that they would be governed by

Rule 33 of the Rules of 2021 and would not raise any grievance qua the same, in future.

(iv) The petitioners shall also be under an obligation to file a specific undertaking to the effect that they will not claim any monetary or other benefit of the promotional post on which they had joined in pursuance to order dated 17.12.2024.

(v) The petitioners shall further undertake that any benefit, if any, availed by them because of their joining on the promotional post, shall be refunded back by them whenever called upon to do so by the respondents-Authorities.

(vi) The decision on the applications as filed by the petitioners would be taken by the competent Authority positively within a period of four weeks of filing of the applications.

(vii) Till the applications as filed by the petitioners are decided, the petitioners shall continue on their present place of posting deeming them to be working on the post of 'Sr. Teacher', as they were working before being promoted.

(viii) Those petitioners who have been relieved after the orders of posting been passed, would also be entitled to file an application in writing to forego their promotion and the said applications shall also be decided in terms of the above directions.

The said petitioners shall, till the date their application is decided, be entitled to be reverted back to their original place of posting i.e. on the post which they were working before being promoted.

Needless to observe that they would be reverted only if the said seat is vacant as of date.

ix) Those petitioners who, after having been provided the place of posting, joined in pursuance to the same, would also be entitled to move an application in writing in terms of direction No.1 and the consequences shall follow."

6. उभय पक्ष माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित इस आदेश के अनुसार अपील निस्तारित करने हेतु सहमत है।
7. हम यह पाते हैं कि उपरोक्त प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की श्रेणी में आता है। अतः उक्त अपील का माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 8761/2025 श्रीमती वर्मालता बनाम राजस्थान राज्य में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसरण में निर्णित करते हैं एवं उभय पक्ष को तदनुसार कार्यवाही हेतु आदेशित करते हैं। अपीलार्थी अपना पदोन्नति परित्याग का आवेदन इस आदेश के 15 दिवस के भीतर प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत करे एवं प्रत्यर्थी विभाग प्रस्तुत आवेदन को आगामी 15

दिवस में निस्तारित करे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को तब तक वही कार्यरत रखा जावे। जहां वह चुनौती आदेश पारित किए जाने से पूर्व कार्यरत था।

8. उपरोक्त अपील ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही मय स्थगन प्रार्थना पत्र निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष